नॉन-रिपोर्टेबल

भारत के उच्चतम न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

2011 की आपराधिक अपील संख्या 973-974

अनवर @भुगरा **... अपीलकर्ता**

बनाम

हरियाणा राज्य **... उत्तरदाता**

निर्णय

राजेश बिंदल, जे.

1. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 394 और 397 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए अपीलकर्ता और उसकी दोषसिद्धि और दंड की पुष्टि की गई है, इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की है।

2. तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध हैं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भारतीय दंड संहिता') की धारा 394 और 397 के अधीन दिनांक 05.04.1994 की एफ. आई. आर. संख्या 104 पी. एस. घरौंडा, (हरियाणा) में दर्ज की गई थी। 4 अप्रैल 1994 को जाहिद (पीडब्ल्यू-4), शिकायतकर्ता अपने गांव राणा माजरा से किराना सामान खरीदने के लिए बरसात गांव आया था। जब वह सामान खरीदने के बाद अपने गांव लौट रहा था, तो रात लगभग 8 बजे श्मशान घाट के पास तीन लोगों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उससे कहा कि जो कुछ भी उसके पास है उसे सौंप दो वरना उसे खत्म कर दिया जायेगा। शिकायतकर्ता जाहिद (पीडब्लू-4) ने जब उन्हें बताया कि उसके पास केवल किराने का सामान है, तो उनमें से दो ने

उसे मुक्के और पैर से मारना शुरू कर दिया।आरोपी डंडे, चाकू और पिस्तौल से लैस थे।जिस व्यक्ति के पास चाकू था, उसने जबरन उसकी कलाई की घड़ी ले ली।

3. इसी बीच, बरसात गांव की तरफ से एक ट्रैक्टर आया। यह देखकर जाहिद (पीडब्ल्यू-4) ने मदद की गुहार लगाई।ट्रैक्टर पर हारून अली (पीडब्ल्यू-6) और जैन सिंह (पीडब्ल्यू-5) बैठे थे।उन्होंने तीन लोगों को पकड़ने की कोशिश की।हाथापाई में, एक व्यक्ति जिसके पास एक ड्रंट था, उसने अपने रिवर्स साइड से एक वार किया, जो शिकायतकर्ता जाहिद (पीडब्ल्यू-4) को उसकी दाहिनी आंख के नीचे लगा।एक और वार उसके बाएं कंधे पर लगी।जैन सिंह (पीडब्ल्यू-5) को भी ड्रंट से चोटे लगी थी।जिस व्यक्ति के पास चाकू था, उसने हारून अली (पीडब्ल्यू-6) को चोटे मारी थी।उसके पर्स जिसमे रू 20/- और एक पहचान पत्र था, उसे ले गए।जैन सिंह (पीडब्ल्यू-5) की जेब से अन्य व्यक्ति पर्स ले गया, जिसमें 15/- रुपये थे।इसी बीच गांव बलेहरा निवासी महिंदर सिंह मौके पर पहुंचा और उसे देखकर वो तीनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन चाकू से लैस एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। उसने अपना नाम सतपाल पुत्र राधु राम निवासी सदरपुर बताया।ड्रंट उन्होंने अन्य आरोपियों के नामों का भी खुलासा किया, जिनमें मुंडी गढ़ी निवासी मंगा राम के बेटे अनवर उर्फ भुगरा के पास पिस्तौल थी और बरौली निवासी राम सिंह के बेटे बबलू उर्फ ओम प्रकाश के पास ड्रंट थी।

4. अंधेरे का फायदा उठाते हुए सतपाल भी मौके से भाग गया। यह एफआईआर का आधार था। अभियुक्तों को 12 अप्रैल, 1994 को गिरफ्तार किया गया और वसूली की गई।अपीलकर्ता के कब्जे से .12 बोर की एक देशी पिस्तौल बरामद की गई, जिसके बाद 1994 की एफआईआर संख्या 111 शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत पीएस घरुंडा, (हरियाणा) में दर्ज की गई थी।

5. अभियोजन पक्ष ने 1994 की एफ. आई. आर. संख्या 104 में मामले के समर्थन में आठ गवाह पेश किए। ट्रायल के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल ने अनवर उर्फ भुगरा, मंगा राम का पुत्र, सतपाल पुत्र राधु और ओम प्रकाश उर्फ बबलू, राम सिंह का पुत्र, आईपीसी की धारा 394 और 397

के तहत उन्हें सात साल की अवधि के लिए कारावास और 2,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 1-3/4 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।1994 की एफआईआर संख्या 111 में, निचली अदालत ने अपीलकर्ता को शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत दोषी ठहराया और तीन साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया।अपील में, एक समान निर्णय द्वारा, दोनों मामलों में ट्रायल अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था।

6. अपीलकर्ता के विद्वान द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि शिकायत के आधार पर अभियोजन द्वारा बनाई गई कहानी मनगढ़ंत है। वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता के पास पिस्तौल थी, हालांकि न तो शिकायत में और न ही रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य में ऐसा कुछ है कि इसका कभी उपयोग किया गया था। पिस्तौल की बरामदगी ही संदेह में है क्योंकि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बाद व्यक्तिगत तलाशी के ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि उसकी व्यक्तिगत तलाशी के समय कुछ भी नहीं मिला था।पिस्तौल की बरामदगी के ज्ञापन में, यह उल्लेख किया गया है कि जांच के दौरान अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के समय उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई थी और उसके पायजामा की बायीं जेब से, एक देसी पिस्तौल (कट्टा) .12 बोर और उसकी दाईं जेब से तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। यह अपने आप में व्यक्तिगत खोज के ज्ञापन के विपरीत था।पर्स की बरामदगी भी गंभीर रूप से संदिग्ध थी क्योंकि एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि पर्स अपीलकर्ता द्वारा लिया गया था।

7. इसके अलावा, शिकायतकर्ता/जाहिद (पीडब्लू-4) के बयान में गंभीर खामियां और विसंगतियां हैं। जैन सिंह (पीडब्लू-5), जिसके बारे में कहा गया था कि वह ट्रैक्टर पर बैठा हुआ व्यक्ति था, जिस पर वह घटना स्थल पर पहुंचा था, ने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया।शस्त्र अधिनियम के तहत मामले में दर्ज अपने बयानों में जैन सिंह ने अपनी उपस्थिति में अपराध के किसी भी हथियार की बरामदगी से इनकार किया। उसे प्रतिकूल घोषित कर दिया गया।यहां तक कि अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने किसी भी हथियार की बरामदगी

से इनकार किया क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कुछ खाली कागजों पर उनके हस्ताक्षर लिए गए थे।यही स्थिति हारून अली (पीडब्ल्यू-6) के बयान में भी थी, जो अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं करते थे।उसे विरोधी घोषित कर दिया गया और अभियोजन पक्ष ने उससे जिरह की।

8. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पूरे अभियोजन संस्करण को गवाहों द्वारा विधिवत समर्थन दिया गया है। केवल इसलिए कि उनमें से कुछ को जीत लिया गया था और उन्हें विरोधी घोषित किया गया था, अभियोजन के मामले को ध्वस्त नहीं करेगा। नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों का समवर्ती निष्कर्ष है और यह इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और सुसंगत निर्दिष्ट अभिलेख का अवलोकन किया।शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए संस्करण के अनुसार, यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 394 और 397 के तहत बनाया जाना चाहिए क्योंकि शिकायतकर्ता को रास्ता रोका गया था। यह घटना 04.04.1994 को रात 8 बजे हुई थी।अपीलकर्ता, शिकायतकर्ता और आधिकारिक गवाह के बयान के अनुसार, अपने साथ एक पिस्तौल ले जा रहा था, हालांकि, गवाहों के बयानों के रूप में या यहां तक कि मेडिकल रिपोर्ट के रूप में रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि पिस्तौल का कभी भी उपयोग किया गया था। इसके अलावा, अपीलकर्ता से पिस्तौल की बरामदगी भी गंभीर रूप से संदिग्ध है।उनकी व्यक्तिगत तलाशी के समय तैयार किए गए ज्ञापन के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था।हालांकि, पिस्तौल के संबंध में कब्जे के ज्ञापन में, यह कहा गया है कि जांच के दौरान, अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई थी और उसके पजामा की बाईं ओर की जेब से देशी पिस्तौल बरामद की गई थी। यह अजीब है कि अपीलकर्ता घटना के कुछ दिन बाद अपनी जेब में पिस्तौल रखना जारी रखेगा और उसके साथ गिरफ्तार किया जाएगा।अभियोजन पक्ष के दो संस्करण-उनकी व्यक्तिगत तलाशी का ज्ञापन और देसी पिस्तौल के कब्जे का ज्ञापन-अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त कर देते हैं।

10. दो गवाहों, अर्थात् जैन सिंह (पीडब्लू-5) और हारून अली (पीडब्लू-6), जो शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक ट्रैक्टर पर अपराध स्थल पर पहुंचे थे, ने न तो अपराध स्थल के लिए और न ही वसूली के लिए अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन किया। जैन सिंह (पीडब्लू-5) ने अपने बयान में कहा कि यह बबलू था जिसने पर्स छीना था, जिसमें रू 15 थे। हारून अली (पीडब्ल्यू-6) अपने बयान से पलट गया।अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगे थे।अपराध स्थल पर अपीलकर्ता की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध हो जाती है।

11. शिकायतकर्ता जाहिद (पीडब्लू-4) के बयान में सुधार हुआ, जिससे अभियोजन का मामला संदिग्ध हो गया। प्राथमिकी में, उसने कहा कि ट्रैक्टर पर दो व्यक्ति जैन सिंह और हारून अली थे। हालांकि, अदालत के समक्ष अपने बयान में, उसने कहा कि एक बच्चा ट्रैक्टर चला रहा था और उस पर दो व्यक्ति बैठे थे।तीनों उसकी मदद के लिए नीचे उतरे।

12. इसके अलावा, एफआईआर और शिकायतकर्ता जाहिद (पीडब्ल्यू-4) के साक्ष्य में बड़ी विसंगतियां हैं।प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि ड्रंट (बबलू) रखने वाला व्यक्ति जबरन हारून अली (पीडब्ल्यू-6) की दाहिनी जेब से पर्स ले गया, जिसमें उसका पहचान पत्र और रू 20 थे तथा दूसरा व्यक्ति (कोई निर्दिष्ट नहीं) उसकी जेब से जैन सिंह (पीडब्ल्यू-5) का पर्स ले गया, जिसमें रू 15 और तंबाकू थे।हालांकि, अपने साक्ष्य में वह कहता है कि बबलू ने उसका पर्स छीन लिया और अनवर, अपीलकर्ता, ने हारून अली (पीडब्ल्यू-6) से पर्स छीन लिया।

13. महिन्दर सिंह, जिसका नाम एफ. आई. आर. में है और जिसके अपराध स्थल पर पहुंचने पर अभियुक्त भाग गया था, को अभियोजन द्वारा पेश नहीं किया गया है। वे भौतिक गवाह थे।

14. अभिलेख पर उपरोक्त सामग्री से, अपराध के स्थल पर अपीलार्थी की उपस्थिति और उससे पिस्तौल की बरामदगी अत्यधिक संदिग्ध हो जाती है और अपीलार्थी का दोष उचित संदेह से परे साबित न होने के कारण, दोषसिद्धि और दंड को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

15. तदनुसार, अपीलों को स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी के संबंध में उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को

अपास्त किया जाता है। उसके द्वारा जमा किए गए जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं।

.....जे

(अभय एस ओका)

.....जे

[राजेश बिंदल]

नई दिल्ली।

29 मार्च, 2023.

अस्वीकरणः स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।